बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

राज्य योजना

ज्ञापांक–1/योजना छात्रवृति–08/2009– 56   पटना–15, दिनांक– 26-11-12

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना बजट प्रावधान के अंतर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल रू0 17000.00 लाख (रूपये एक अरब सत्तर करोड़) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय की उपलब्धता के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–44 दिनांक–03.09.12 द्वारा राज्य योजना मद में कुल 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र स्वीकृत किया गया है। पुनः उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध राशि रू0 17000.00 लाख (रूपये एक अरब सत्तर करोड़) मात्र, जिसका बजट उपबंध प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा किया गया है की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वित्तीय वर्ष 2012–13 के राज्य योजना के मांग संख्या 11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101 शिक्षा–3401 छात्रवृति/वजीफा विपत्र कोड संख्या–P2225032770101 के अधीन विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृत राशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को देय प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति की स्वीकृति दी जायेगी।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है। वे राशि को नियमानुसार निकासी एवं व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5– इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6– इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की स्वीकृति पूर्व से निर्गत विभागीय परिपत्रों एवं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के संबंध में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में की जायेगी।

7– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त आवंटित राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर दिसम्बर, 2012 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक 31.03.2013 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नगद के रूप में नहीं रखा जाय। वे संबंधित व्यय विवरणी तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8– इस संबंध में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवि परमार),
सरकार के सचिव।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत/आवंटित राशि की विवरणी

(रू० लाख में)

क्र0	जिला का नाम	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि
1	2	3
1	पटना	3500.00
2	नालंदा	800.00
3	रोहतास	900.00
4	भभुआ	300.00
5	भोजपुर	300.00
6	बक्सर	300.00
7	गया	1750.00
8	जहानाबाद	100.00
9	अरवल	300.00
10	नवादा	550.00
11	औरंगाबाद	550.00
12	सारण	800.00
13	सिवान	500.00
14	गोपालगंज	300.00
15	मुजफ्फरपुर	550.00
16	सीतामढ़ी	200.00
17	शिवहर	10.00
18	प0 चम्पारण	500.00
19	पू0 चम्पारण	400.00
20	वैशाली	300.00
21	दरभंगा	400.00
22	मधुबनी	300.00
23	समस्तीपुर	400.00
24	सहरसा	400.00
25	सुपौल	250.00
26	मधेपुरा	200.00
27	पूर्णियाँ	400.00
28	अररिया	100.00
29	किशनगंज	40.00
30	कटिहार	200.00
31	भागलपुर	250.00
32	बाँका	20.00
33	मुँगेर	150.00
34	लखीसराय	200.00
35	शेखपुरा	130.00
36	जमुई	200.00
37	खगड़िया	200.00
38	बेगुसराय	250.00
	कुल योग	17000.00

(रूपये एक अरब सत्तर करोड़) मात्र

पत्रांक–56 दिनांक–26-11-12 का अनुलग्नक

(रवि परमार)

सरकार के सचिव।